(वाद सं०– 5635/4/30/2021)

02.05.2023

परिवादी, विकाश कुमार, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया है।

प्रसंगाधीन मामला भूमि विवाद के आलोक में अंचलाधिकारी, वारिसनगर द्वारा परिवादी को वारिसनगर थाना में बुलाकर पुलिस व परिवादी के विपक्षियों की उपस्थिति में तत्कालीन अंचलाधिकारी, वारिसनगर अंचल, कमल कुमार, द्वारा परिवादी के साथ गाली–गलौज कर उसे अपमानित करने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक–06.08.2021 को अंचलाधिकारी, वारिसनगर के द्वारा उसे वारिसनगर थाना परिसर में भूमि विवाद के आलोक में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके अनुपालन में दिनांक–07.08.2021 को वह वारिसनगर थाना में उपस्थित हुआ, जहाँ थाना के पुलिसकर्मियों व उसके विपक्षी फेकन पासवान, व उसकी पत्नी की उपस्थिति में तत्कालीन अंचलाधिकारी, कमल कुमार, वारिसनगर अंचल द्वारा परिवादी को गाली देकर अपमानित किया गया।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर** से प्रतिवेदन की मांग गई। **जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निन अचंलाधिकारी, वारिसनगर के प्रतिवेदनानुसार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कमल कुमार, अक्तूबर 2021 में सेवानिवृत हो गये है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अंचलाधिकारी, वारिसनगर द्वारा श्रीकुमार, से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण के एक मामले में परिवादी को नोटिस देकर थाना पर बुलाया गया था। सरकारी जमीन पर स्थित

एक गड्ढें को परिवादी के द्वारा भर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में अनुसूचित जाति की एक महिला द्वारा एक शिकायत दी गई थी। इसी क्रम में पूछताछ करने पर परिवादी उत्तेजित हो गये तथा तत्कालीन अंचलाधिकारी, वारिसनगर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगें। वहाँ उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा परिवादी को समझा–बुझाकर शांत कर दिया गया। परिवादी का कहना था कि जब सरकारी भूमि मुझे बंदोबस्ती से प्राप्त हुई है तो इसे खाली कराने वाला अंचलाधिकारी कौन होता है। तत्कालीन अंचलाधिकारी, वारिसनगर द्वारा बंदोबस्ती का पर्चा माँगने पर परिवादी द्वारा उसे नहीं दिया गया तथा कहा गया कि उसकी ओर से एक टाइटिल सूट दायर किया गया है। वर्तमान अंचलाधिकारी, वारिसनगर द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्त अंचलाधिकारी कमल कुमार, द्वारा उन्हें बताया गया कि उन्होंने कभी भी परिवादी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। संभव है कि अंचलाधिकारी, वारिसनगर पर दबाव बनाने के उद्देश्य से परिवादी द्वारा राज्य आयोग के समक्ष प्रसंगाधीन परिवाद दिया गया हो।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निन अंचलाधिकारी, वारिसनगर के प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी से उसके साथ घटित घटना की शिकायत घटना के बाद उच्च पदाधिकारियों को करने या इस सम्बन्ध में न्यायालय में कोई परिवाद दाखिल करने के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी द्वारा बताया गया कि इस घटना को लेकर उसके द्वारा किसी भी उच्च पदाधिकारी को शिकायत नहीं किया गया और न ही न्यायालय में कोई परिवाद ही दाखिल किया गया।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में प्रमाण की माँग किये जाने पर उसके द्वारा कहा गया कि उसके पास लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

प्रसंगाधीन मामला प्रथम दृष्टतया भूमि विवाद के आलोक में अंचलाधिकारी के सरकारी कार्य से सम्बन्धित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से इसे मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 26–23/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक